



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253
E-mail : msrvvpunj@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

- निविदा प्रपत्र -

कार्य का नाम: - वर्ष 2019-20 हेतु प्रतिष्ठान का पानी का टैंकर

निविदा की अंतिम तिथि	:	24 मई, 2019 शुक्रवार दोपहर 01:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	24 मई, 2019 शुक्रवार अपराह्न 3:00 बजे
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशि	:	रु. 1,00,000/- रूपये एक लाख रुपये मात्र
धरोहर राशि	:	रु. 2,000/- रूपये दो हजार रुपये मात्र
बैंक फिक्स डिपोजिट संख्या/डी.डी. संख्या	:	
दिनांक	:	
बैंक का नाम व पता	:	
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयावधि	:	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	:	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

कृपया संलग्न प्रपत्र में अपनी सीलबन्द लिफाफे में प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रेषित करें।

नियम एवं शर्तें

अ. निम्न पत्र/प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :-

1. धरोहर राशि का डी.डी./एफ.डी.आर. संलग्न करें। डी.डी./एफ.डी.आर सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के नाम देय होगा।
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
3. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
4. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
5. विक्री कर विभाग से जारी TIN नम्बर की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
6. सर्विस टैक्स क्रमांक की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
9. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।
10. निविदा निम्नलिखित अनुसार अलग-अलग बन्द लिफाफे में प्रेषित करें:-

क) तकनीकी बोली- एक लिफाफे में उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ एवं निर्धारित अमानत राशी का फिक्स डिपोजिट रसीद FDR/DD मूलत (Original) प्रस्तुत करें। इस लिफाफे में बाहर ऊपर तकनीकी बोली एवं जिस कार्य हेतु निविदा है, का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना आवश्यक है तथा नीचे प्रेषक में फर्म का नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि लिखें। मूल प्रमाण-पत्र बाद में माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होंगे।

ख) वित्तीय बोली - दूसरे लिफाफे में प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जावें। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी। इस लिफाफे में बाहर ऊपर वित्तीय बोली एवं जिस कार्य हेतु निविदा है, का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना आवश्यक है तथा नीचे प्रेषक में फर्म का नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि लिखें।

(कृपया इन दोनों लिफाफों को अलग-अलग चिपकाकर एक अन्य लिफाफे में रखकर अच्छी प्रकार चिपका कर सीलबन्द करें।)

ब. निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जायेगी :-

1. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख नहीं किया जावे।

3. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रपत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग, ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
5. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

स. अन्य जानकारीयाँ :-

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होना आवश्यक है। अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही प्रतिष्ठान की नहीं होगी।
2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली का लिफाफा खोला जायेगा। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही फाइनेंसियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। तकनीकी बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली का लिफाफा खोले बिना ही सम्बन्धित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 50% धनराशि का A/c Payee D.D. या FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से 60 दिन अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
6. निविदा स्वीकार न होने की दशा में (चयनित निविदादाता को छोड़कर अन्य सभी निविदादाताओं की) धरोहर राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद FDR/DD वापस लौटा दी जायेगी।
7. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।
8. यह कि वस्तु/सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा तथा खराब वस्तु/सामग्री को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. बिल का भुगतान RTGS/एकाउण्टपेयी चेक द्वारा निविदा में नामित फर्म के नाम से जारी किया जायेगा। किसी भी स्थिति में व्यक्ति विषेष के नाम से चेक जारी नहीं होगा।
10. फर्म द्वारा सामान लाने-ले जाने के लिए किसी प्रकार को ट्रांसपोर्ट का किराया आदि अलग से भुगतान नहीं होगा। समस्त सामान की सुरक्षा, श्रमिकों की चिकित्सा आदि की व्यवस्था तथा विद्युत से सम्बन्धित कार्य एवं उसके सामान की चोरी, आगजनी, टूट-फूट, दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। (बाल श्रमिक प्रतिबन्धित होंगे तथा श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार का नषा आदि निषेध होगा।) प्रतिष्ठान द्वारा किसी प्रकार के क्लेम आदि की जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निविदा में दिये गये कार्य के अनुरूप कार्य न पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।

12. बिल राशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौति की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौति से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात जारी किया जायेगा।
13. निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना स्वीकार किया जायेगा।
14. यदि किसी निविदा सामग्री की दर दो या दो से अधिक निविदाकारों के मध्य समान पायी जाती है तो जिस निविदा में अधिकतम सामग्री का दर न्यूनतम होगा उसे ही सम्पूर्ण निविदा की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
15. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं अतः निविदाकार दो कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा।
16. आवश्यक होने पर सर्विस टैक्स GST जमा करने की जबाबदारी निविदाकार फर्म की होगी। निविदाकार फर्म सर्विस टैक्स भरकर प्रतिष्ठान में बिल प्रस्तुत करके सर्विस टैक्स की प्रतिपूर्ति करवा सकेगी।
17. समस्त सरकारी विभागों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।
18. निविदा की अवधि एक वर्ष के लिए है। कार्य सन्तोषजनक होने पर निविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रतिष्ठान के माननीय सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
20. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए माननीय उच्च-न्यायालय क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) ही रहेगा।

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

सत्र 2019-20 में पानी का प्रदाय टैंकर के माध्यम से करने हेतु निविदा प्रपत्र

प्रति टैंकर की कीमत रू.

क्र.	टैंकर में पानी की क्षमता	प्रति टैंकर की कीमत रू.
01	4000 लीटर पानी की क्षमता वाला टेन्कर	
02	4500 लीटर पानी की क्षमता वाला टेन्कर	
03	5000 लीटर पानी की क्षमता वाला टेन्कर	
04	10000 लीटर पानी की क्षमता वाला टेन्कर	

- नोट -
- 1) पानी के टैंकर का प्रदाय प्रतिष्ठान में आकर करना होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का डीजल, टेक्टर भाड़ा, बिजली हम्माली, टेक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार का व्यय का भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा।
 - 2) टैंकर के पानी का उपयोग खाना बनाने एवं पीने में भी लिया जा सकता है। इसलिये पानी शुद्ध, ताजा, छना हुआ एवं पारदर्शी होना चाहियें।
 - 3) टैंकर की क्षमता का प्रमाणपत्र जनपद पंचायत द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना होगा। प्रतिष्ठान द्वारा भी टैंकर की क्षमता को कभी भी नापा जा सकता है एवं पानी की शुद्धता की जाँच कभी भी करवाई जा सकती है।
 - 4) इस निविदा प्रपत्र के साथ समस्त शर्तें भी हस्ताक्षर करके संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक -

नाम एवं पता